न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 76/2021 (RCMS : 2021/212)

1. दलीप पुत्र हनुमान बावरी निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. हेतराम पुत्र हनुमान बावरी निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

— — — **वादीगण प्रार्थीयान**

बनाम

1. पुन्नाराम उर्फ पूर्णराम पुत्र धर्माराम नायक निवासी बनवाली हाल 8ए तहसील अनूपगढ
2. रामी देवी पुत्री वीरूराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
3. लिछमा पत्नी धर्माराम नायक निवासी बनवाली हाल 8ए तहसील अनूपगढ
4. माया देवी पुत्री धर्माराम नायक निवासी बनवाली हाल 8ए तहसील अनूपगढ
5. विमला पुत्री धर्माराम नायक निवासी बनवाली हाल 8ए तहसील अनूपगढ
6. चेतनराम पुत्र वीरूराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
7. नारायणराम पुत्र कस्तूराराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
8. पेमा देवी पुत्री कस्तूराराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
9. फूलाराम पुत्र वीरूराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
10. भोमाराम पुत्र कस्तूराराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
11. सतपाल पुत्र मनीराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
12. सरदारी पुत्री कस्तूराराम नायक निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर
14. उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर

— — — **अप्रार्थीगण**

18.05.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री संजय कुमार एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्याया[illegible] लम्बित प्रकरण अनवानी दलीप आदि बनाम पुन्नाराम उर्फ पूर्णराम अन्तर्गत [illegible] 88, 188 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम [illegible]य में

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुंतकिली प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी दलीप आदि बनाम पुन्नाराम उर्फ पूर्णराम अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:03 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर